HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 5792/2026
CNR: RJHC010419592026
URN: CRLMB / 12919U / 2026

Arjun Alias Vikiya S/o Shankarram, Aged About 24 Years, R/o Khara Police Station Aburoad Riico District Sirohi Rajasthan (Presently in Judicial Custody At Aburoad Jail)

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Arpit Surana, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Hanuman Prajapati, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI
Order

17/07/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना आबू रोड़, रीको, जिला सिरोही में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 305/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 64(1) व 115(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.04.2025 के माध्यम से विस्तृत आदेश पारित कर खारिज किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया है, वह दिनांक 09.01.2025

से अभिरक्षा में चल रहा है। उसके विरुद्ध पूर्व में अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। पीड़िता पी.डब्ल्यू.–4 के रूप में परीक्षित हुई है, उसने प्रार्थी/अभियुक्त के हाथ में छुरी होना बताया है और यह कहा है कि छुरी म्यान से बाहर निकली हुई थी, ऐसे में एक हाथ में छुरी व एक हाथ में म्यान कैसे हो सकती है। प्रार्थी/अभियुक्त व पीड़िता के बीच में यदि कोई शारीरिक संबंध बने भी हैं, तो आपसी सहमति से बने हैं। पीड़िता ने अपने बयानों में परस्पर विरोधाभासी कथन किये हैं, वह कभी अपने बच्चों का पिता गोपाल होना बताती है और कभी गोविन्द सिंह होना बताती है। उसने अपने शरीर पर जो चोटें आना बताई हैं, वे सभी चोटें मात्र खरोंच है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष अपने बयानों में निश्चित रूप से यह कथन किया है कि छुरी दिखाकर प्रार्थी/अभियुक्त ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बलात्कार किया है। इस स्तर पर पीड़िता के शरीर पर आई चोटों की पुष्टि उसके चोट प्रतिवेदन से भी होती है। प्रकरण में कुल 12 साक्षीगण हैं, जिनमें से 4 साक्षीगण के बयान दिनांक 01.11.2025 तक हो चुके थे। तत्पश्चात 8 माह में कई साक्षीगण के बयान लेखबद्ध हो चुके होंगे और प्रकरण बहस अंतिम के स्तर पर होने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर पीड़िता को चाकू से डरा–धमकाकर उसकी इच्छा व सहमति के बिना उसके साथ बलात्कार किये जाने के अपराध का आरोप है। पीड़िता ने धारा 180 व 183 बी.एन.एस.एस. के बयानों में घटना की पुष्टि की है तथा न्यायालय के समक्ष अपने बयान में भी पीड़िता ने प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उसे छुरी का भय दिखाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किये जाने के कथन किये हैं। पीड़िता ने अपने शरीर पर चोटें आना बताया है। पीड़िता की चिकित्सकीय रिपोर्ट से उसके शरीर पर दो खरोंच के निशान होना जाहिर होता है।

वस्तुतः एक हाथ में छुरी व एक हाथ में म्यान रह सकते हैं या नहीं, पीड़िता के बच्चे गोपाल की संतान हैं या गोविन्द सिंह की, इन तथ्यों का प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में क्या प्रभाव पड़ेगा तथा पीड़िता के बयानों में विरोधाभास होने का क्या साक्षिक महत्व है, इस तथ्य का अवधारण विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर किया जा सकता है। इस स्तर पर अनुसंधान अधिकारी व अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान लेखबद्ध होने शेष हैं।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना इस प्रक्रम पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **अर्जुन उर्फ विकिया पुत्र शंकरराम** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI/03 (JD)